न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 12/2020 Gcms No 2020/00017
दायरा तिथि : 14.02.2020
निर्णय तिथि: 17-10-2022
वादी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार, बाली

बनाम

प्रतिवादी :–

अक्षयकुमारसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपुत
निवासी सेणा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

–:: निर्णय ::– दिनांक : 17-10-2022

प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच के पश्चात् ग्राम सेणा (बाहरी क्षैत्र) तहसील बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 293 रकबा 0.34 हैक्टर व खसरा नंबर 301 रकबा 1.25 हैक्टर कुल रकबा 1.59 हैक्टर के 1/12 वां हिस्सा के सह खातेदार अक्षयकुमारसिंह द्वारा उक्त भूमि में निहित अपने 1/12 वां हिस्सा पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के होटल बनाकर **अकृषि वाणिज्यिक** प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 04.03.2020 को वकालतना प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुती के लिये समय दिया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से प्रकरण को कन्टेस्ट करने से आगे की कार्यवाही को वाद के तौर किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता को जवाबदावा प्रस्तुती के लिये **ढाई वर्ष** की समयावधि तक कई मर्तबा समय अवसर दिये गये, हॉ तक कोस्ट पर भी समय अवसर दिये गये, इसके बावजुद प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। तथा दिनांक 19.07.2022 को धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जवाब के लिये समय चाहा। जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी को एक **माह का समय अवसर दिया** गया, इसके बावजुद कोई जवाबदावा दिनांक 27.09.2022 तक जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे दिनांक 27.09.2022 को अधिवक्ता प्रतिवादी का जवाबदावा का अवसर बन्द करते हुये प्रकरण में वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन वकुलाय की बहस से हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि ग्राम सेणा (बाहरी क्षैत्र) तहसील बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 293 रकबा 0.34 हैक्टर व खसरा नंबर 301 रकबा 1.25 हैक्टर कुल रकबा 1.59 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में प्रतिवादी अक्षयकुमारसिंह का 1/12 वॉ हिस्सा निहित है, तथा उक्त भूमि कृषि भूमि है। प्रस्तुत प्रकरण के संलग्न पटवारी हल्का सेणा द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 03.02.2020 के अनुसार खातेदार अक्षय कुमारसिंह पुत्र करणसिंह कौम राजपुत द्वारा **मौके पर खसरा नंबर 301 में दो (2) पक्के कमरे व तीन टेन्ट के कमरे बनाये हुये है व खसरा नंबर 293 में एक रसोई घर व कुर्सीया वगैरा लगा रखी है। तथा खातेदार अक्षरकुमारसिंह द्वारा होटल(वाणिज्यक उपयोग) संचालित** की जा रही है। जिससे प्रतिवादी का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन है। अतः वर्णित भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने की दलील वादी पैरोकार सरकार द्वारा दी जा रही है। इसके खण्डन स्वरूप प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई जवाब व साल्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का भी अवलोकन किया गया। **धारा 177. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली–(1) आसामी भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित आधार पर अपने भूमि क्षैत्र से बेदखल किया जा सकेगा–**

(क) किसी ऐसे कार्य के करने अथवा न करने की त्रुटि के आधार पर जो उस भूमि क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो, जिसके लिये उक्त भूमि क्षेत्र पट्टे पर दिया हो,

(ख) इस आधार कि उसने या उससे लेकर भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्तो का उल्लंघन किया है जिसके उल्लंघन करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के प्रावधानो के खिलाफ नहीं हैं:

पत्रावली उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ग्राम सेणा (बाहरी क्षैत्र) तहसील बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 293 रकबा 0.34 हैक्टर व खसरा नंबर 301 रकबा 1.25 हैक्टर कुल रकबा 1.59 हैक्टर के 1/12 वां हिस्सा के सह खातेदार अक्षयकुमारसिंह द्वारा उक्त भूमि में निहित अपने 1/12 वां हिस्सा पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के होटल बनाकर **अकृषि वाणिज्यिक** प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है।

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रकरण सं0 12/2020 GCMS No 2020/00017
अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम अक्षयकुमारसिंह
अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

विधि के प्रावधानो के अनुसार कृषक को अपनी खातेदारी भूमि कृषि प्रयोजन उपयोग में लेने के ही अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार उक्त भूमि के सबंध में खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन किया है। जिससे धारा 177 के अनुसार हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली का अधिकारी बनता है। जिससे प्रार्थी भूमिधारी के आवेदन अनुसार वर्णित भूमि को राजकीय सिवाय चक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अतः वाद वादी तहसीलदार, बाली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम सेणा (बाहरी क्षैत्र) तहसील बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 293 रकबा 0.34 हैक्टर व खसरा नंबर 301 रकबा 1.25 हैक्टर कुल रकबा 1.59 हैक्टर में निहित प्रतिवादी अक्षयकुमारसिंह का निहित 1/12 वां हिस्सा को राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, बाली आदेश की पालना में भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा सरकार लेते हुये पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेणा को पालनार्थ भिजवाई जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 17-10-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)
न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली